...यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–124 / 2022 **धारा–144 दं0प्र0स0**

कुलदीप पाण्डेय –बनाम– सीताराम पाण्डेय वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 27.06.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा–बेलकपी, थाना–गोरहर,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
131	5109	0.13 ए0(13डी0)	उ0– मकान रामजी पाण्डेय द0– मकान एवं बाहरी श्याम पू0– फदुरी साव प0– मकान बासुदेव पाण्डेय

उभय पक्षों कि विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलिल तथा उभय पक्षों के बयानातों से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी आपस में गोतिया है तथा प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने हक–हकियत का दावा कर रहे है,जो द0प्र0स0–144 के अन्तर्गत वाद का निपटारा किया जाना संभव नहीं है।

उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद कि कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21/9/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

21/9/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 17:23:38 +05:30
Location: 192.168.101.238